Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 152-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019 (BHADRA 15, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 सितंबर, 2019

संख्या 79/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप जीएसटी आईटीसी–04 में चालान के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे कि उक्त व्यक्तियों से जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए उक्त नियमों के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप जीएसटी आईटीसी–04 प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु उक्त व्यक्ति, अप्रैल से जून, 2019 तक की तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटी आईटीसी–04 की क्रम संख्या 4 में, जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि में छुटपुट काम करने वाले कर्मकार को भेजे गए मालों के सम्बन्ध में सभी चालानों के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे, जो 31 मार्च, 2019 तक कर्मकार से वापिस प्राप्त नही हुआ है या जिसका छुटपुट काम करने वाले कर्मकार के कारबार के स्थान से प्रदाय नहीं किया गया है।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 6th September, 2019

No. 79/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to furnish the details of challans in **FORM GST ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 143 of the said Act, as the class of registered persons who shall follow the special procedure such that the said persons shall not be required to furnish **FORM GST ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the said rules for the period July, 2017 to March, 2019:

Provided that the said persons shall furnish the details of all the challans in respect of goods dispatched to a job worker in the period July, 2017 to March, 2019 but not received from a job worker or not supplied from the place of business of the job worker as on the 31st March, 2019, in serial number 4 of **FORM GST ITC-04** for the quarter April-June, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

57347—C.S.—H.G.P.,Chd.